

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 3100/11-सी-FP/UP/Others/21754/2016, लखनऊ, दिनांक: 02.09.2022
सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- पीलीभीत में बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (MDR-62) किमी० 3.807 से 3.842 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम-मानपुर के खसरा सं०-3/1 में बी०पी०सी०एल० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.061624 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति। (प्रस्ताव सं०-FP/UP/Others/21754/2016)

सन्दर्भ: उ०प्र० शासन की पत्र सं०-पी०-52/81-2-2019-800(74)/2019, दिनांक-09.09.2019
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाईगर रिजर्व वृत्त, पीलीभीत ने अपने पत्रांक-2002/14-1 दिनांक 15.04.2022 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक एक प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-3100/11-सी-FP/UP/Others/21754/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाईगर रिजर्व, पीलीभीत एवं वन संरक्षक, बरेली।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत।
- 3- टेरीटोरी मैनेजर (रिटेल), बी०पी०सी०एल०, ग्राम-नूरपुर, तहसील-ऑवला, बरेली।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।